हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी
Board of School Education Haryana, Bhiwani
(Established Under Haryana Board of School Education Act, 1969)

No. BSEH/SEC/2025 'प्रैस नोट' **Circular No.:05**
Dated : 28.05.2025

हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा–2024

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा शिक्षा निदेशालय, सैकेण्डरी शिक्षा विभाग हरियाणा, पंचकुला के निर्देशानुसार हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा–2024, लेवल 3 (**PGT**) की परीक्षा का आयोजन दिनांक 26.07.2025 (शनिवार) एवं लेवल 2 (**TGT**) व लेवल 1 (**PRT**) की परीक्षा का आयोजन दिनांक 27.07.2025 (रविवार) को करवाया जा रहा है। परीक्षा से सम्बन्धित सूचना–पत्रक (**Information Bulletin**) बोर्ड की अधिकारिक वैबसाईट **www.bseh.org.in** पर उपलब्ध है।

विषयांकित परीक्षा हेतु पंजीकरण नवम्बर–2024 में सम्पन्न करवाया गया था, परन्तु कुछ वंचित/इच्छुक उम्मीदवारों के अनुरोध के दृष्टिगत पंजीकरण का एक ओर अवसर दिया जाता है। इच्छुक उम्मीदवार हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा–2024 के लिए दिनांक 01.06.2025 सुबह 11:30 बजे से दिनांक 05.06.2025 (रात्रि 11:59 बजे) तक वैबसाईट **www.bseh.org.in** पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व उम्मीदवार सूचना–पत्रक में दर्शाए गए सभी महत्वपूर्ण दिशा–निर्देशों को ध्यान से पढ़कर/समझकर अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें। ऑनलाईन आवेदन व परीक्षा शुल्क सफलतापूर्वक जमा करने के पश्चात अभ्यर्थी पुष्टिकरण–पृष्ठ (**Application Form**) की प्रति लेना सुनिश्चित कर लें। शुल्क का भुगतान दिनांक 05.06.2025 रात्रि 12.00 से पहले तक किया जा सकता है।

केवल नये पंजीकृत अभ्यर्थी अपने विवरण, फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठे के निशान, लेवल , विषय के चयन (लेवल–2 व 3), जाति वर्ग, दिव्यांग श्रेणी व गृह राज्य में ऑनलाईन संशोधन दिनांक 06.06.2025 दोपहर बाद से 07.06.2025 तक कर सकते है। दिनांक 05.06.2025 के बाद आवेदन तथा दिनांक 07.06.2025 के बाद संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी। इस संदर्भ में कोई भी प्रार्थना–पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। दिनांक 06.06.2025 से 07.06.2025 तक संशोधन करते समय अगर अभ्यर्थी अपने जाति वर्ग में एस0सी0 हरियाणा से अन्य जाति वर्ग या दिव्यांग श्रेणी हरियाणा से अन्य राज्य दिव्यांग श्रेणी में परिवर्तन करता है तो उसे बकाया फीस के अन्तर का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त अगर अभ्यर्थी अपने जाति वर्ग में अन्य राज्य जाति वर्ग से एस0सी0 हरियाणा में परिवर्तन करता है या दिव्यांग श्रेणी अन्य राज्य से दिव्यांग श्रेणी हरियाणा राज्य में परिवर्तन करता है, तो उसे अतिरिक्त जमा शुल्क वापिस देय नहीं होगा। ई–मेल, पत्र व अन्य माध्यम से प्राप्त प्रार्थना–पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

आवेदक इस बात का भी विशेष ध्यान रखे कि एक बार पंजीकरण उपरान्त परीक्षार्थी अगर अन्य लेवल की परीक्षा देने का इच्छुक है तो उसी पंजीकरण के अन्तर्गत ही दूसरे लेवल के लिए आवेदन कर सकता है। अभ्यर्थी नवीनतम जानकारी/अपडेट के लिए वैबसाईट **www.bseh.org.in** का नियमित अवलोकन करते रहें ताकि किसी भी महत्वपूर्ण व अति–आवश्यक जानकारी/सूचना से वंचित न रहें। अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई उत्पन्न होती है तो हैल्पडैस्क न0 8938001176 , 8958001178 व ई–मेल आई0डी0 htethelpdesk@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं।

आवेदकों को सलाह दी जाती है कि अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना आवेदन प्रक्रिया तत्काल पूर्ण करें। यदि कोई अभ्यर्थी एक लेवल के लिए एक से अधिक आवेदन करता है, तो उसका आवेदन/पात्रता रद्द कर दी जाएगी।

सचिव